का॰ज्ञा॰ सं॰ II/20015/12/94-रा.भा. (क-2), दिनांक 11.3.1994

विषय:— मंत्रालय/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों के गठन/पुनर्गठन की प्रक्रिया - राजभाषा विभाग की औपचारिक सहमति के संबंध में स्पष्टीकरण।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समिति के गठन के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा का॰ज्ञा॰ सं॰ 11/20015/45/87-रा॰भा॰ (क-2) दिनांक 15.3.88 के अंतर्गत जारी की गई संशोधित व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा हिंदी सलाहकार समितियों के गठन/पुनर्गठन के लिए बनाई गई प्रक्रिया का ठीक से पालन करने की आवश्यकता है।

2. जैसाकि विदित है कि हिंदी सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिंदी समिति की दिनांक 2 दिसम्बर, 1987 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन गैर-सरकारी सदस्यों में 2 संसद सदस्य लोक सभा से और 2 राज्य सभा से होने चाहिएं तथा 2 प्रतिनिधि संसदीय राजभाषा समिति से होने चाहिएं। एक गैर-सरकारी सदस्य अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधि और एक केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् का प्रतिनिधि होना चाहिए। संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा समिति में 4 गैर-सरकारी सदस्य नामित किए जाने चाहिए। सभी मंत्रालयों/विभागों को अपनी हिंदी सलाहकार समितियों के गठन/पुनर्गठन के प्रस्ताव को राजभाषा विभाग की औपचारिक सहमति हेतु भेजना आवश्यक है। राजभाषा विभाग भी औपचारिक सहमति, मंत्रालय/विभाग के मंत्री जी के अंतिम आदेश से पहले ली जानी होती है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने मंत्रालय/विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के गठन/पुनर्गठन से संबंधित उचित प्रक्रिया अपनाने की कृपा करें।